

संख्या -सोला/का/भर्ती/च.श्रेणी/आरआरसी/मुंबई



## कार्यालय आदेश स. 060/2020.


**विषय :-**रेल भर्ती सेल मुंबई.E.No.02/2018 द्वारा चयन होने के पश्चात चतुर्थ श्रेणी (Erst.Gr.D) में पीबी I/लेवल I पर (Level-I) निर्धारित वेतनमान रु.18000/- पर निम्न-उम्मीदवारों की नियुक्ती करना।  
संदर्भ: CPO(RRC)'s Lr.No.P/CR/HQ/RRC/CEN/02/2018/VII/Prov.Panel dtd 18.12.2019

\*\*\*\*\*

इस कार्यालय के अनुलग्न में बताए गये मुख्य कार्मिक अधिकारी/ आरआरसी/मुंबई के दिनांक 18.12.2019 पत्र द्वारा सूचित उम्मीदवार को वर्तमान रिक्ती में उसके नाम के आगे बताए गए विभाग/ तथा ग्रेड पे में आरआरसी/मुंबई द्वारा चयनित होने के पश्चात चतुर्थ श्रेणी (Erst.Gr.D) में नियुक्ती के लिये सक्षम अधिकारी ने मंजूरी प्रदान की है। उनकी नियुक्ती और तैनाती निम्नलिखित शर्तों पर कि जाती है।

1. उनके चरित्र एवं पूर्वव्रत तथा अन्य प्रमाणपत्रों का सत्यापन।
2. उनकी नियुक्ती अस्थायी तौर पर होगी और कोई भी कारण बताए बिना उनको नोटीस देकर उनकी सेवा समाप्त कि जा सकती है।
3. वे भारत सरकार और मध्य रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों तथा अस्थाई कर्मचारियों को लागू होने वाले नियम और विनियम द्वारा शासित होंगे।
4. वह उम्मीदवार दिनांक 01.01.2004 से लागू नये पेन्शन नियमों से शासित होंगे। तथा उम्मीदवार कार्य पर तैनात होने पर उनसे तीन प्रतियों में PRAN (प्राण) फार्म भर लिया / लेना अनिवार्य है। इसलिए उन्हें जोईनिंग रिपोर्ट के साथ कार्यालयीन कामकाज के दिन उपस्थिति के लिए सूचित किया जाता है।  
उन्होंने भारतीय संविधान कि निष्ठा कि प्राथमिक शपथ लेने के पश्चात तथा नियुक्ती के लिए उन्हें डीपो में रिपोर्ट करने के किये इस कार्यालय द्वारा जारी वाहक पत्र दिया जाएगा और वाहकपत्र कर्मचारी का सत्यापित फोटोग्राफ तथा नमूना हस्ताक्षर होगा और उनका साक्षात्कन फार्म चरित्र प्रमाणपत्र के साथ संबंधित जिला माजीस्त्रते द्वारा )पोलिस (जाच करव के लेना अनिवार्य है। मुख्य कार्मिक अधिकारी )एच आर पी (मुंबई के दिनांक 18.12.2019 द्वारा प्राप्त सभी उम्मीदवारों की आवेदन पत्र की कार्मिक निरीक्षक द्वारा दुबारा सभी उपलब्ध कागजातों कि जाच पडताल करने के पश्चात सलंगन सुचि के अ.न.01 उम्मीदवार, को चतुर्थ श्रेणी (Erst.Gr.D) में वेतनमान रु. PC-7 Level-I Pay 18000/- में सातवा वेतन आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान पर नियुक्ती किया गया है।  
अ. न. 01 उम्मीदवार अन्य पीछेडा वर्ग पर चयन हुये है।

ओबीसी /अनुसूचित जाती के उम्मीदवार को उनके कागजातों को सत्यापित करने के पश्चात अनुसूचित जाती/जनजाती/ ओबीसी कोटे पर नियुक्ती दि जाती है। उनकी नियुक्ती अनन्तीम है बशर्ते उनके अनुसूचित जाती/जनजाती/ ओबीसी के प्रमाणपत्रों के उचित मध्यमो द्वारा सत्यापण किये जाने पार है, यदि सत्यापन के समय यह प्रकट हुआ कि जैसा भी मामला हो अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाती/ओबीसी के होने का दावा गलत है तो कोई कारण दिये बिना तुरंत सेवा समाप्त कि जायेगी और पूर्व धारणा बिना गलत प्रमाणपत्र प्रस्तुत के लिये भारतीय पनेल कोड के प्रावधानों के अधीन आगे कि कार्यवाही कि जाएगी। निम्न उम्मीदवार को रेल्वे बोर्ड के दि 18.12.2017 पत्र संख्या इ)एन जी(II/2016/आर आर-1/12)3192238 (के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता का पुनःरिक्षण करते हुये बोर्ड द्वारा यह निर्णय किया गया है की ओपन मार्केट, सभी माध्यम से इंजिनरिंग, विभाग में सातवा वेतन आयोग )हाल ही का ग्रेड 1800/-) के पे मट्रिक्स के लेवल-1 में कर्मचारियों के भर्ती के लिये न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 10वी उत्तीर्ण होगी और उन्हें छ माह तक जॉब ट्रेनिंग देकर विशेष तौर पर तैनाती कर दि है।


  
सहायक कार्मिक अधिकारी  
Assistant Personnel Officer  
मध्य रेल, सोलापुर  
Central Railway, Solapur.

विषय :-रेल भर्ती सेल मुंबई,E.No.02/2018द्वारा चयन होने के पश्चात चतुर्थ श्रेणी (Erst.Gr.D) में पीबी I/ लेवल I पर (Level-I) निर्धारित वेतनमान रु.18000/- पर निम्न-उम्मीदवारों की नियुक्ती करना ।

\*\*\*\*\*

Sr.No.	Registration No	Name of the candidate	Community /caste	Against community	DOB	Posted under ADEN
1	2480533729	SHELKE VISHNU NAMDEO	OBC	OBC	10/04/1994	ADEN/KWV/NG

इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है ।

  
कृते मंडल रेल प्रबंधक कार्मिक अधिकारी  
Assistant Personnel Officer  
मध्य रेल, सोलापूर  
Central Railway, Solapur.

प्रति .. :- सोलापूर. प्र वित्त मं वरि., वरि.मं.इंजीनियर(सं.) सोलापूर को सुचनार्थ  
प्रति :-मुख्य .का अ/ का/ स्केल चेक. कर्मचारी सहायता सेल .सोलापूर को सुचनार्थ ।  
प्रति:- सहायक मंडल इंजी/छो.ला/ब.ला./कुडूवाडी/NG को सुचनार्थ तथा  
उम्मीदवार कि अगलि तैनाती तथा उन्हें जॉब ट्रेनिंग / प्रशिक्षण विशेष तौरपर करने का प्रबंध करे ।  
RBE LETTER NO 172/2010 ( प्रति संलग्न) के अनुसार उम्मीदवारों को २४ दिन का प्रशिक्षण अनिवार्य है /अतः उम्मीदवारों कि कार्य पर तैनाती निर्धारित प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद ही की जाए ।

संलग्न :- D.A

